उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या-30/2024/आई/757690/2024/10-19099/4/2024
लखनऊ: दिनांक 01 अक्टूबर, 2024

कार्यालय-ज्ञाप/स्पष्टीकरण

विषय- शासनादेश दिनांक 12.06.2024 के संबंध में स्पष्टीकरण ।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 11/2024/सा-3-227/10-19099/4/2024 दिनांक 12.06.2024 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों, जिन्हें यथास्थिति 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि दिया जाना नियत है, द्वारा आहरित अंतिम वेतन में एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़ते हुए पेंशन एवं ग्रेच्युटी का आगणन किया जाय, जिसके संबंध में शासन को विभिन्न माध्यमों एवं विभागों से प्रकरण के संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है।

2- दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों को एक वेतनवृद्धि दिये के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 12.06.2024 में प्रावधानित व्यवस्था के क्रम में स्पष्ट करना है कि प्रकरण से आच्छादित कार्मिकों को उनके द्वारा आहरित अंतिम वेतन में एक नोशनल वेतनवृद्धि प्रदान किये जाने की स्थिति में राशिकरण एवं ग्रेच्युटी भी आगणित होगी तथा अन्तर की धनराशि का भुगतान करने के साथ ही भुगतान किये जाने वाले राशिकरण के अन्तर की धनराशि के भुगतान की तिथि से पेंशन से कटौती की जायेगी।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1). समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(2). समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

(3). समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

(4). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(5). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(6). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(7). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

विजय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।